भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 644
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में विलंब और कार्यान्वयन की खामियाँ

644. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में काफी विलंब हो रहा है, विशेषकर बिहार और राजस्थान में, जहाँ 2021 में परियोजना शुरू होने के बावजूद बहुत बड़ा अंतराल बना हुआ है और यदि हाँ, तो बिहार और राजस्थान में, बिहार के सारण सहित जिला-वार कवरेज स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौ चिन्हित राज्यों के लक्षित गाँवों में मोबाइल सेवा अवसंरचना को पूरा करने में विलंब के कारणों का चरणवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संभार-तंत्र या भौगोलिक बाधाओं के कारण भविष्य में होने वाले विलंब को रोकने के लिए उन्नत भू-स्थानिक मानचित्रण प्रणालियों और आकस्मिक आयोजना तंत्रों का उपयोग करने पर विचार किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष गाँवों में पूर्ण कवरेज प्राप्त करने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या बिहार और अन्य प्रभावित राज्यों में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा न करने के मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध कोई जवाबदेही तय करने संबंधी तंत्र या दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) बिहार और राजस्थान राज्य सहित आकांक्षी जिला स्कीम के अंतर्गत 4जी मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु कार्यान्वयन कार्य प्रगति पर है। बिहार के सारण जिले के किसी भी गाँव को आकांक्षी जिला स्कीम के अंतर्गत नियोजित नहीं किया गया है।

9 राज्यों के लिए आकांक्षी जिला स्कीम के अंतर्गत मोबाइल कवरेज हेतु नियोजित और कवर किए गए राज्यवार गाँवों/टावरों की जानकारी डिजिटल भारत निधि वेबसाइट **https://usof.gov.in/en/home** पर उपलब्ध है।

आकांक्षी जिला स्कीम के अंतर्गत कुछ साइट के निर्माण में विलंब राजस्व भूमि, वन/वन्यजीव अनुमति और राज्यों से मार्ग के अधिकार की अनुमति मिलने में देरी के कारण हुआ। इसके अलावा, कुछ साइट में देरी, पहुँच और अन्य स्थानीय मुद्दों के कारण भी हुई।

(ग) जी हाँ, 4जी सेचुरेशन स्कीम में टावरों की योजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी हाँ, मौजूदा करार के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध परिनिर्धारित क्षति (एलडी), डाउनटाइम जुर्माना आदि जैसे दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाते हैं।

*****